

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.- 0141-2399335, 2399336, ई-मेल - dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.आ.वि./कि न्या अ/किन्चाबोर्ड/मनोनयन पार्ट-3/16/ ३७३१९ जयपुर दिनांक २४-१-२०२०

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जाँच एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, अजमेर, बारां, बूंदी, चूरू, नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोक, झुंझुनू	प्रत्येक समिति में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
2	श्रीगंगानगर, झालावाड	प्रत्येक समिति के 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
3	बाडमेर	समिति में 01 अध्यक्ष व 02 सदस्य (जिनमें से 01 महिला आवश्यक)
4	करौली,	समिति में 01 महिला सदस्य
5	धौलपुर, जालौर	प्रत्येक समिति में 01 सदस्य

उक्त वर्णित जिलों में अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताएं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साइट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

१२/११/२०२०

(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./ कि न्या अ/किन्याबोर्ड/ मनोनयन पार्ट-3/16/37329-35 जयपुर दिनांक 27+/-2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
11. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, /लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
13. सहायक निदेशक,, जिला बाल संरक्षण इकाई, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन 02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक—पृथक प्राप्त समर्त आवेदनों को निर्धारित प्रारूप में संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक 6 मार्च, 2020 तक विशेष वाहक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक